न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –174/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00323

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. रतना आत्मज हरया जाति नट मृतक जरिये का0मु0–
   1/1 गोपाल आत्मज रतना मृतक जर्ये का0मु0 रणजीत पुत्र गोपाल
   1/2 शंभू आत्मज रतना
   1/3 बालचन्द आत्मज रतना
   जाति नट निवासीगण देवली खुर्द तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 26/08/2025

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी रतना को ग्राम देवलीखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.98 हे0, भूमि दिनांक 14.05.1974 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो अप्रार्थी के पुत्र को बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी के पुत्रों द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवंटी अप्रार्थी फोत हुए 30–32 वर्ष हो चुके है तथा वह उनके कायम मुकामान है, तथा आगे जवाब में कथन किया है कि सरकार द्वारा प्रार्थी के पिता रतना जो गांव में भीख मांग कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते थे तथा अप्रार्थी के पिता को सुनिश्चित बसाने व जीवन यापन के लिये खाता संख्या 540 /501 में दर्ज खसरा नम्बर 386 की रकबा 0.9800 हे0 भूमि आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी गरीब व्यक्ति होने तथा भीख मांग कर खाने वाले व्यक्ति के पास कोई आर्थिक स्थिति सुदृड नहीं होने के कारण अप्रार्थी के गैर खातेदारी की भूमि पर गांव के सम्पन्न सशक्त व्यक्ति द्वारा

2 कब्जा कर लिया गया व अप्रार्थी को डरा धमका कर भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया तथा आज उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर शक्तिशाली लोगों के कब्जे में ही चली आ रही है तथा मृतक अप्रार्थी के वारिसान

जिला कलक्टर
कोटा

द्वारा कई मर्तबा उक्त भूमि पर कब्जा दिलवाये जाने की गुहार की गई किन्तु अप्रार्थी के पुत्र की किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की । अतः ग्राम देवली खुर्द तहसील रामगंजमण्डी में दर्ज खाता संख्या 540/501 में दर्ज खसरा नम्बर 386 की रकबा 0.9800 हे0 भूमि पर मृतक के वारिसान के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिलवाये जाकर उक्त व्यक्ति पर अतिक्रमण कारी व्यक्ति को हटवाया जाकर मृतक के वारिसान को कब्जा दिलवाया जावें । प्रार्थी मृतक अप्रार्थी को वैद्य वारिस है तथा पीडित अनुसूचित जाति के परिवार को राहत प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थी को ग्राम देवलीखुर्द तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.98 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रकरण इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14(4) में प्रस्तुत है, जिसमें कब्जा दिलाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम देवलीखुर्द तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 386 रकबा 0.98 हे0, भूमि दिनांक 14.05.1974 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है तथा अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में दिनांक 14.05.1974 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि देवलीखुर्द के खसरा नम्बर 386 रकबा 0.98 हे0, सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा